भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/79/2021/एफ.सी./1460 दिनांकः 30/07/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.02 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–2401/FP/UK/ROAD/46681/2020 दिनांक 18.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्न त्रुटियां पायी गयी हैः

1. प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा तीन गांवों को लाभान्वित होना बतलाया गया है जिनकी कुल जनसंख्या 414 है। परन्तु के0एम0एल0 एवं डिजिटल मानचित्र पर गांवों की स्थिति को अंकित नहीं किया गया है साथ ही के0एम0एल0 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि इतनी आबादी प्रस्तावित मार्ग से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रही है। इसपर राज्य सरकार अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मार्ग मे दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति में पुल निर्माण भी दर्शाया गया है किन्तु पैरा– बी 2.4 पर component wise break up में 'पुल' निर्माण हेतु क्षेत्र को अंकित नहीं किया गया है।
3. मलवा निस्तारण योजना में मलवा निस्तारण हेतु आवश्यक क्षेत्र 0.628 हे0 दर्शाया गया है जबकि component wise break up के अनुसार यह 0.5 हे0 लिखा गया है। अतः राज्य सरकार इसपर स्पष्ट टीप प्रेषित करे अथवा आवश्यक सुधार करें।
4. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्ताव मे वन भूमि का चयन किया गया है जबकि प्रस्तावित मार्ग मे निश्चित अंतराल मे नाप भूमि भी सम्मिलित है जिसका उपयोग मलवा निस्तारण हेतु किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार इस पर वन मंडल अधिकारी की उचित टिप्पणी प्रेषित करें।
5. मार्ग हेतु आवश्यक भूमि के निर्धारण हेतु 9.0 मी0 चौड़ाई ली गयी है इसलिए सम्भवतः tree enumeration भी 9 मी0 चौड़ाई पर किया गया है। अतः राज्य सराकर 7.0 मी0 की चौड़ाई पर वृक्षों की गिनती कर tree enumeration की सूची इस कार्यालय में प्रेषित करें।

6. राज्य सरकार मलवा निस्तारण हेतु चयनित क्षेत्र में पृथक से वृक्षों की गणना कर सूची प्रेषित करें।
7. Tree enumeration में राज्य सरकार द्वारा लिखा गया है कि 0से 10 व्यास वर्ग वाले वृक्षों को enumeration में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि सभी वृक्ष एवं saplings enumeration में सम्मिलित किये जाने चाहिये। अतः राज्य सरकार यथानुसार संशोधन कर enumeration प्रस्तुत करें साथ ही ऑनलाईन पोर्टल पर भी संशोधन करें।
8. प्रस्तावित सी.ए. क्षेत्र में 2.0 हे0 क्षेत्र very dense forest दर्शित हो रहा है क्योंकि यह भूमि सिविल सोयम भूमि है जो वन विभाग को हस्तांतरित की जानी है। अतः गाइडलाईन पैरा 2.4 (vi) के अनुसार कुल 6.0 हे0 क्षेत्र में से अनुउपयुक्त 2.0 हे0 क्षेत्र के सापेक्ष 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य योजना prescription अनुसार अन्यत्र degraded forest land जिसका धनत्व 0.4 से कम हो पर प्रस्तुत करें।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

30/07/24.

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)